

शिक्षाशास्त्री
सीयूईटी-पीजी 2025
प्रवेश परीक्षा (ACQP01) के लिए निर्देशिका

Bachelor of Education
CUET-PG 2025
Guidelines for Entrance Test - ACQP01



केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय
(संसद् के अधिनियम द्वारा संस्थापित)
(NAAC द्वारा 'A++' श्रेणी में प्रत्यायित)
56-57, सांस्थानिकक्षेत्र, जनकपुरी, नई दिल्ली – 110058
फोन न. 011-28521258, जालपुट - www.sanskrit.nic.in, ईमेल – et2024@csu.co.in

विषयानुक्रमणिका

| क्र. सं. | विषय | पृ. सं. |
|----------|--|---------|
| 1. | केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय का संक्षिप्त परिचय | 3 |
| 2. | शिक्षाशास्त्री (बी.एड्.) में प्रवेश के लिए योग्यता | 3 |
| 3. | शिक्षाशास्त्री पाठ्यक्रम में उपलब्ध स्थान संख्या | 4 |
| 4. | आरक्षण | 5 |
| 5. | आरक्षित श्रेणी के लिए प्रमाणपत्र जारी करने के लिए सक्षम अधिकारी | 5 |
| 6. | केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय परिसर के लिए शैक्षणिक धारा के अनुसार आरक्षित स्थान | 5 |
| 7. | शिक्षाशास्त्री (बी.एड्.) प्रवेश परीक्षा – 2025 हेतु निर्देश | 6 |
| 8. | परीक्षा केन्द्र | 6 |
| 9. | अत्यावश्यक सूचना | 6 |
| 10. | विश्वविद्यालय-परिसरों में अध्ययनार्थ काउन्सेलिंग हेतु ऑनलाईन आवेदन के लिए निर्देश | 6 |
| 11. | आवंटित परिसर प्रोन्नयन (Upward movement) प्रक्रिया | 6 |
| 12. | ऑनलाईन आवेदन करने से पहले ध्यातव्य तथ्य | 6 |
| 13. | परीक्षावधि एवं परीक्षा सम्बद्ध सूचना | 7 |
| 14. | प्रश्नपत्र रूपरेखा | 7 |
| 15. | मूल्याङ्कन विधि | 7 |
| 16. | परीक्षा परिणाम सम्बद्ध विशेष सूचना | 7 |
| 17. | शिक्षाशास्त्री प्रवेश परीक्षा – 2025 का पाठ्यक्रम | 7 |
| 18. | प्रवेश परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों के उदाहरण | 8 |

शिक्षाशास्त्री (बी.एड.) प्रवेशपरीक्षा – 2025

1. केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय का संक्षिप्त परिचय

संस्कृत आयोग 1956 की अनुशंसाओं के अनुसार भारत सरकार द्वारा वर्ष 1970 में राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान की संस्थापना हुई। इसका मुख्य उद्देश्य सम्पूर्ण देश में संस्कृत शिक्षा, शिक्षण और अनुसंधान को बढ़ावा देना, प्रचार करना और संरक्षित करना है। यह पूरी तरह से मानव संसाधन विकास मंत्रालय (अब शिक्षा मंत्रालय) भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित किया गया था। पारम्परिक संस्कृत शिक्षा के प्रचार और प्रसार के क्षेत्र में इसके योगदान को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान को 7 मई, 2002 में मानित विश्वविद्यालय का दर्जा दिया। तत्कालीन राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान (मानित विश्वविद्यालय) को केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम 2020 (2020 की संख्या 5) के अन्तर्गत संसद द्वारा केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, दिल्ली के रूप में पारित किया गया है। महामहिम भारत के राष्ट्रपति के अनुमोदनोपरांत 30 अप्रैल, 2020 से केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, दिल्ली के रूप में कार्य आरम्भ किया।

यह विश्वविद्यालय अखिल भारतीय विश्वविद्यालय संघ का सदस्य है तथा राष्ट्रीय मूल्याङ्कन प्रत्यायन परिषद् (NAAC) द्वारा 'ए' श्रेणी प्राप्त है। देश के विभिन्न भागों में स्थित इसके परिसरों में प्राक्शास्त्री से लेकर आचार्य/विद्यावारिधि (Ph.D.) पर्यन्त अध्ययन की सुविधाएँ उपलब्ध हैं। इसके नौ परिसरों में द्विवर्षीय शिक्षाशास्त्री पाठ्यक्रम भी उपलब्ध है जो कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (NCTE) द्वारा मान्यता प्राप्त है। इस शैक्षिक सत्र 2025-26 से शिक्षाशास्त्री कक्षा में प्रवेश हेतु अखिल भारतीय स्तर पर भारत सरकार द्वारा सञ्चालित नेशनल टेस्टिंग एजेन्सी (NTA) के माध्यम से शिक्षाशास्त्री प्रवेश परीक्षा संचालित की जा रही है। **शिक्षाशास्त्री प्रवेश परीक्षा का प्रश्नपत्र कोड एन.टी.ए. द्वारा ACQP01 निर्धारित किया गया है।** विश्वविद्यालय द्वारा द्विवर्षीय शिक्षाचार्य पाठ्यक्रम भी कतिपय परिसरों में संचालित किया जाता है। इसमें प्रवेश हेतु अखिल भारतीय स्तर पर नेशनल टेस्टिंग एजेन्सी (NTA) के माध्यम से शिक्षाचार्य प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है।

2. शिक्षाशास्त्री (बी.एड.) में प्रवेश के लिए योग्यता

शिक्षाशास्त्री प्रवेश परीक्षा के लिए न्यूनतम अर्हता

- किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से शास्त्री या बी.ए. (संस्कृत विषय सहित) अथवा आचार्य/एम.ए. (संस्कृत) या तत्समकक्ष परीक्षा में न्यूनतम 50 प्रतिशत प्राप्तांक सहित उत्तीर्णता या समकक्ष ग्रेड।
- अर्हता परीक्षा में प्रविष्ट छात्र/छात्रा भी आवेदन कर सकते हैं।
- केन्द्र सरकार के नियमानुसार अनुसूचित जाति/जनजाति/ओ.बी.सी./अन्यथा सक्षम अभ्यर्थियों के लिए अन्य शर्त सहित उपर्युक्त परीक्षाओं में 45% अंक अनिवार्य हैं।

प्रवेश के समय आवेदन के साथ अर्हता-परीक्षा में उत्तीर्ण होने के प्रमाण संलग्न होने चाहिए। यदि परीक्षा फल घोषित न हुआ हो तो प्रवेश के समय साक्षात् अथवा गोपनीय परिणाम से सम्बन्धित प्रमाणपत्र जमा करने पर ही प्रवेश दिया जाएगा अन्यथा प्रवेश की अर्हता निरस्त हो जायेगी।

चयन विधि

भारत सरकार के निर्देशों के अनुरूप केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों में अध्ययन हेतु एन.टी.ए. द्वारा प्रश्नपत्र कोड **ACQP01** के साथ **सीयूईटी-पीजी 2025** का आयोजन किया जा रहा है। प्रवेश परीक्षा में आवेदन करने से पूर्व सभी अभ्यर्थी एन.टी.ए. द्वारा जारी किये गये सभी निर्देशों को अच्छे से पढ़ लें और प्रत्येक स्तर पर सावधानी से समस्त जानकारियों को दर्ज करें।

शिक्षाशास्त्री पाठ्यक्रम में प्रवेश पाने के इच्छुक सभी छात्रों को एन.टी.ए. द्वारा निर्धारित ऑनलाइन आवेदन पर आवेदन करना होगा। आवेदन के उपरान्त NTA द्वारा निर्धारित विभिन्न केन्द्रों पर आवेदकों को कम्प्यूटर-आधारित-परीक्षण (CBT) के माध्यम से परीक्षा देनी होगी। चयन मापदण्डों के अनुरूप प्रवेश परीक्षा में

उत्तीर्ण छात्रों को पुनः केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के विभिन्न परिसरों में अध्ययनार्थ काउन्सेलिंग के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

काउन्सेलिंग हेतु आवेदन करते समय प्रत्येक छात्र को केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के दश परिसरों में प्रवेश के लिए अधिकाधिक वरीयता क्रम से अपनी पसन्द का उल्लेख करना होगा, जिस वरीयता क्रम में वह परिसर में प्रवेश लेना चाहता है। इच्छित परिसर में स्थान उपलब्ध न होने की स्थिति में वरीयता क्रमानुसार किसी एक अन्य परिसर में प्रवेश दिया जा सकता है। विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए अखिल भारतीय स्तर पर वरीयता सूची बनाई जाएगी। सफल छात्रों की जानकारी तदनुसार वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी।

3. शिक्षाशास्त्री पाठ्यक्रम में उपलब्ध स्थान संख्या

शिक्षाशास्त्री पाठ्यक्रम में उपलब्ध स्थान संख्या 770 है। परिसर वार उपलब्ध कुल स्थानों की संख्या निम्नलिखित है –

शिक्षाशास्त्री – अध्ययन केन्द्र/परिसर और उपलब्ध स्थान

| क्र. | केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के परिसर का नाम | उपलब्ध स्थान |
|------|---|--------------|
| 1. | केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, श्रीरणवीर परिसर, कोट-भलवाल, जम्मू, (जम्मू एवं कश्मीर) -181122 | 110 |
| 2. | केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, लखनऊ परिसर, विशालखण्ड-4, गोमतीनगर, लखनऊ, उत्तरप्रदेश- 226010 | 55 |
| 3. | केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, राजीव गांधी परिसर, मेनसे, भारती नगर, शृङ्गेरी, कर्णाटक- 577 139 | 55 |
| 4. | केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, जयपुर परिसर, त्रिवेणी नगर, गोपालपुरा - बाईपास, जयपुर, राजस्थान- 302018 | 110 |
| 5. | केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, श्रीसदाशिव परिसर, चन्दन हजुरी रोड, पुरी, ओडिशा- 752001 | 110 |
| 6. | केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, गुरुवायूर परिसर, गुरुवायूर, पुरनाट्टुकरा, त्रिशूर, केरल - 680551 | 55 |
| 7. | केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, भोपाल परिसर, संस्कृत मार्ग, बागसेवनिया, भोपाल, म.प्र. - 462043 | 110 |
| 8. | केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, वेदव्यास परिसर, बलाहर, सूही, देहरा, हिमाचल प्रदेश- 177108 | 55 |
| 9. | केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, एकलव्य परिसर, सिपाई पारा, लेम्बुचेरा, अगरतला, पश्चिम त्रिपुरा-799210 | 55 |
| 10. | केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, क. जे. परिसर, विद्याविहार (ई), मुंबई, महाराष्ट्र - 400077 | 55 |

4. आरक्षण

भारत शासन के नियमानुसार आरक्षण व्यवस्था निम्नलिखित है -

- अनुसूचित जाति (SC) के लिए 15%
- अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए 7.5%
- अन्य-पिछड़ा वर्ग के लिए (OBC) (केन्द्र सरकार की सूची के अनुसार) 27%
- अन्यथा सक्षम (दिव्यांग) /प्रज्ञाचक्षु के लिए 5%
- युद्ध / सैनिक संघर्ष में घायल/मृत व्यक्तियों के बच्चों /विधवाओं के लिए 3%

(प्रमाणपत्र में हत/ आहत अवस्था का स्पष्ट उल्लेख अपेक्षित है।)

- खिलाड़ियों के लिए (राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में भाग ग्रहण) 2%
- आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 10%
- अन्तर्राष्ट्रीय, पूर्वोत्तर राज्य (NER), जम्मू कश्मीर, एकल-बालिकाओं के लिए आरक्षणम् 5%

उपर्युक्त श्रेणियों के आवेदक परिसर में प्रवेश के समय अपने आरक्षित श्रेणी विधिवत् विनिर्दिष्ट प्रमाणपत्र को राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित कराकर आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करेंगे, अन्यथा उनका प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा। विश्वविद्यालय के परिसरों के लिए आरक्षण निर्धारण केन्द्रीय स्तर पर ही होगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित स्थान अपरिवर्तनीय रहेंगे। इतर वर्ग के आरक्षित स्थान इस नियम में नहीं आयेंगे।

5. आरक्षित श्रेणी के लिए प्रमाणपत्र जारी करने के लिए सक्षम अधिकारी

- अनुसूचित जाति/जनजाति/ अन्य अप्रगत जाति के लिए - जिला मेजिस्ट्रेट /सब डिविजनल मजिस्ट्रेट/ तहसीलदार/एम.आर.ओ.।
- विकलांग प्रत्याशियों के लिए - मुख्य चिकित्सा अधिकारी, राजकीय चिकित्सालय। (न्यूनतम 40 प्रतिशत विकलांगता पर ही आरक्षण देय होगा।)
- सशस्त्र सैनिकों के बच्चों/विधवाओं के लिए - सचिव, थल सेना/नौसेना/वायुसेना बोर्ड।

6. केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय परिसर के लिए शैक्षणिक धारा के अनुसार आरक्षित स्थान

शिक्षाशास्त्री कक्षा में निर्धारित स्थानों में से अस्सी प्रतिशत (80%) परम्परागत धारा के शास्त्री/आचार्य अथवा समकक्ष अध्ययन करने वाले छात्रों के लिए तथा शेष बीस प्रतिशत (20%) आधुनिक धारा के बी.ए. (तीनों वर्ष में संस्कृत सहित) / एम.ए. (संस्कृत) के छात्रों के लिए आरक्षित हैं।

- पारम्परिक धारा - शास्त्री, आचार्य, शिरोमणि, विद्वन्मध्यमा, विद्वदुत्तमा तत्समकक्ष।
- आधुनिक धारा – बी.ए. (संस्कृत) एम्.ए. (संस्कृत) तत्समकक्ष संस्कृत विषय सहित। (जो छात्र आधुनिक धारा से बी.ए. (संस्कृत) उत्तीर्ण हो कर पारम्परिक धारा से आचार्य/तत्समकक्ष प्रथम वर्ष में पढ़ रहा हो उस छात्र का भी आधुनिक धारा में अन्तर्भाव होगा।)

7. शिक्षाशास्त्री (बी.एड.) प्रवेश परीक्षा – 2025 हेतु निर्देश

केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शिक्षाशास्त्री में अध्ययनार्थियों के लिए एन.टी.ए. सीयूईटी-पीजी 2024 के अन्तर्गत देश के विभिन्न भागों में निर्धारित केन्द्रों पर द्विवर्षीय शिक्षाशास्त्री (बी.एड.) पाठ्यक्रम के लिए प्रवेश परीक्षा का आयोजन करने जा रहा है। योग्यता रखने वाले छात्र प्रवेश परीक्षा के लिए अधोलिखित वेबसाइट पर निर्धारित अवधि में ऑनलाईन-आवेदन कर सकते हैं -

<https://pgcuet.samarth.ac.in/index.php>

प्रमुख दिनाङ्क

| | |
|--|---|
| प्रवेश परीक्षा के लिए ऑनलाईन आवेदन प्रक्रिया | 02 जनवरी 2025 से 01 फरवरी 2025 (11.50 PM) |
| पूर्णतया आवेदित आवेदन के लिए शुल्क समर्पण | 02 फरवरी 2025 (11.50 PM) |
| आवेदित आवेदन का संशोधन | 03 फरवरी 2025 से 05 फरवरी 2025 (11.50 PM) |
| प्रवेशपत्र प्राप्ति | परीक्षा तिथि से चार दिन पूर्व |
| परीक्षा दिनाङ्क | 13 मार्च 2025 से 31 मार्च 2025 |

अभ्यर्थी कृपया आवेदन एवं प्रवेश-प्रक्रिया से सम्बद्ध समस्त महत्त्वपूर्ण दिनांकों के विषय में एन.टी.ए. द्वारा जारी की जाने वाली सूचनाओं के लिए यथासमय एन.टी.ए. की वेबसाइट के माध्यम से जागरूक रहें। आवेदन एवं परीक्षा प्रक्रिया के विषय में एन.टी.ए. का ही अन्तिम निर्णय होगा।

8. परीक्षा केन्द्र

एन.टी.ए. द्वारा निर्धारित परीक्षा केन्द्र का चयन छात्र द्वारा दी गई सूचना के आधार पर किया जाएगा। केन्द्र निर्धारण आदि के सम्बन्ध में एन.टी.ए. द्वारा प्रकाशित नियमावली का सावधानी से अवलोकन कर ले। अभ्यर्थी को चुने गये केन्द्र पर ही परीक्षा देनी होगी।

9. अत्यावश्यक सूचना

- आवेदन प्रक्रिया से पूर्व एन.टी.ए. द्वारा प्रकाशित निर्देशिका तथा इस निर्देशिका को ध्यान से पढ़ें।
- सीयूईटी-पीजी के अन्तर्गत ऑनलाईन आवेदन ध्यान से भरें। अपूर्ण ऑनलाईन आवेदन स्वीकार्य नहीं होंगे।
- ऑनलाईन आवेदन में दी गई सूचना का सत्यापन परीक्षा और प्रवेश के समय होगा।
- किसी भी प्रकार की सूचना प्रमाणित न होने पर नियमानुसार कानूनी कार्यवाही की जाएगी। परीक्षा से वंचित करना/ प्रवेश निरस्त करना भी इसमें शामिल है।
- एन.टी.ए. द्वारा निर्धारित शुल्क जमा कर आवेदन प्रक्रिया को पूरा करें।

10. विश्वविद्यालय-परिसरों में अध्ययनार्थ काउन्सेलिंग हेतु ऑनलाईन आवेदन के लिए निर्देश

प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर अभ्यर्थी अध्ययन हेतु विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर दिये गये निर्देशानुसार परिसर का चयन करेंगे। एतदर्थ उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की सूची जारी की जाएगी। उत्तीर्ण अभ्यर्थी प्रवेश के लिए ऑनलाईन काउन्सेलिंग आवेदन केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित निर्देशों के अनुरूप से कर सकेंगे। त्रुटिपूर्ण, अपूर्ण तथा निश्चित तिथि के बाद किए आवेदन स्वीकार्य नहीं होंगे। शिक्षाशास्त्री प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र ही वरीयता क्रम से शिक्षाशास्त्री पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित विश्वविद्यालय के परिसर में प्रवेश पा सकेंगे। यह वरीयतासूची केवल सत्र 2025-26 के लिए ही मान्य होगी। प्रवेशोपरान्त स्थानान्तरण की अनुमति नहीं होगी तथा प्रवेशोपरान्त शुल्क भी नहीं लौटाया जाएगा। इस निर्देशिका को ध्यान से पढ़ें और आवेदन तभी करें, जब आप इस के लिए अपने को अर्ह पायें।

11. आवंटित परिसर प्रोन्नयन (Upward Movement) प्रक्रिया

छात्र द्वारा समर्थ पोर्टल पर प्रवेश हेतु पंजीकरण के समय प्रवेश के लिए परिसरों की वरीयता का चयन किया जाएगा। प्रवेशार्थी छात्र के CUET प्राप्तांकों के आधार पर वरीयता क्रम से उसे परिसर आवंटित किया जाएगा। प्रथम चरण की काउंसलिंग के उपरांत छात्र को उसकी चयनित वरीयता से आवंटित परिसर से ऊपर की वरीयता वाले परिसर में छात्र की अध्ययनधारा व आरक्षण श्रेणी में यदि कोई स्थान रिक्त रहता है तो उसे अपने चयनित अभीष्ट परिसर में स्थान प्राप्त करने हेतु सशुल्क अवसर दिया जायेगा। जिसके लिए छात्र को सफलतापूर्वक प्रवेश सुनिश्चित होने के उपरांत परामर्श की अंतिम तिथि के बाद गूगल फॉर्म के माध्यम से 1000 रु. प्रक्रिया शुल्क के साथ आवेदन करना होगा। अपवर्ड मूवमेंट की यह प्रक्रिया परामर्श के अंतिम चरण को छोड़कर सभी चरणों में होगी।

12. ऑनलाईन आवेदन करने से पहले ध्यातव्य तथ्य

- केवल अर्ह अभ्यर्थी लिखित परीक्षा और काउन्सलिंग प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकते हैं। यदि कोई अभ्यर्थी निर्धारित योग्यता के अभाव में भी शिक्षाशास्त्री प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित हो जाता है तो वह स्वयं व्यक्तिगत रूप से इसके परिणाम के लिए उत्तरदायी होगा।
- शिक्षाशास्त्री का पाठ्यक्रम एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त है। विश्वविद्यालय के प्रत्येक परिसर में निर्धारित संख्या के अनुसार वरीयता क्रम से ही प्रवेश दिया जायेगा।
- प्रवेशार्हता की जांच, क्षेत्रसम्बन्धी निर्णय, आरक्षणादि का निश्चय आदि निर्णय विश्वविद्यालय के अधीन हैं।
- प्रवेश के विषय में विश्वविद्यालय के कुलपति का निर्णय ही अन्तिम होगा।
- सभी कानूनी मामलों का निपटारा दिल्ली उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में ही होगा।

13. परीक्षावधि एवं परीक्षा सम्बद्ध सूचना

- परीक्षा हेतु एन.टी.ए. की नियमावली अच्छे से समझ लें।
- परीक्षा की अवधि 105 मिनट है, जो एक निर्धारित स्लोट (Slot) के रूप में निर्धारित की जाएगी।
- शिक्षाशास्त्री प्रवेश परीक्षा में अभ्यर्थी कम्प्यूटर-आधारित परीक्षण (CBT) के माध्यम से परीक्षा देंगे। एतदर्थ कम्प्यूटर परिचालन का अभ्यास अवश्य कर लें।
- सभी 75 प्रश्न बहुविकल्पीय एवं संस्कृत माध्यम से होंगे।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर के लिए 4 अंक निर्धारित हैं और गलत उत्तर देने पर 1 अंक कम (Minus Marking) किया जाएगा।
- प्रवेश परीक्षा के समय परीक्षा कक्ष में प्रवेशपत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा।
- शिक्षाशास्त्री प्रवेश परीक्षा में अवैध साधन प्रयोग करने वाले अथवा किसी से सहायता लेने या देने वाले या अनुशासन भंग करने वाले परीक्षार्थी को केन्द्राध्यक्ष परीक्षा से निष्कासित कर सकते हैं, यथाविधि दण्ड भी दिया जा सकता है।
- यदि किसी के छायाचित्र में विषमता पायी जाती है और सन्देह होता है तो ऐसी स्थिति में परीक्षा से निलम्बन/कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। इसके लिए छात्र स्वयं उत्तरदायी होगा।
- परीक्षा भवन में कैलकुलेटर, मोबाइल फोन, पेजर, स्मार्ट घड़ी इत्यादि सर्वथा वर्जित है।

14. प्रश्नपत्र रूपरेखा

सङ्गणक-आधारित शिक्षाशास्त्री प्रवेश परीक्षा बहुविकल्पात्मक प्रश्नपत्र के द्वारा होगी। इस प्रश्नपत्र में कुल 75 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। इस प्रश्नपत्र में निम्नलिखित भाग होंगे –

- भाग 1 – संस्कृतभाषा दक्षता (25 बहुविकल्पीय प्रश्न)
- भाग 2 – संस्कृतसाहित्य (25 बहुविकल्पीय प्रश्न)
- भाग 3 – शिक्षणाभिरुचि (25 बहुविकल्पीय प्रश्न)

प्रत्येक प्रश्न के चार वैकल्पिक उत्तर होंगे, जिनमें केवल एक ही समुचित उत्तर होगा। केवल एक सही उत्तर को चुनकर तथा सङ्गणक की स्क्रीन पर दर्ज करना होगा।

15. मूल्याङ्कन विधि

शिक्षाशास्त्री पाठ्यक्रम का उद्देश्य प्रशिक्षित संस्कृत शिक्षक तैयार करना है। अतः सम्पूर्ण प्रश्नपत्र का माध्यम संस्कृत ही होगा। अतः शिक्षाशास्त्री प्रवेश परीक्षा में अभ्यर्थी को उत्तीर्णता के लिए -

- खण्ड 'अ' एवं खण्ड 'ब' - दोनों खण्डों के कुल प्राप्ताङ्कों (100 अङ्कों) की समान रूप से गणना करते हुए उत्तीर्णता सूची निर्धारित की जाएगी।
- सी.यू.ई.टी.-पी.जी. प्रवेश परीक्षा के प्राप्त अंकों के आधार पर विश्वविद्यालय की गठित प्रवेश समिति वरीयता सूची निर्मित करेगी।
- शिक्षाशास्त्री पाठ्यक्रम में प्रवेशार्थ अर्हता हेतु अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त प्राप्ताङ्कों की वरीयता एवं अन्य सम्बद्ध नियमों के अनुरूप निर्मित की जाएगी।

16. परीक्षा परिणाम सम्बद्ध विशेष सूचना

- प्रवेश परीक्षा के परिणाम की वरीयता सूची अखिल भारतीय स्तर पर होगी।
- विश्वविद्यालय प्रवेश नीति के अनुसार प्रवेश दिया जायेगा।
- प्रवेश के अनन्तर प्रविष्ट परिसर से अन्य परिसर के प्रति स्थानान्तरण न होगा।

17. शिक्षाशास्त्री प्रवेश परीक्षा – 2025 का पाठ्यक्रम

प्रवेश परीक्षा कूटसंख्या - ACQP01

पाठ्यक्रम [75 बहुविकल्पीयाः प्रश्नाः]

भाग: 1 - संस्कृतभाषादक्षता (Proficiency in Sanskrit Language) [25 बहुविकल्पीयाः प्रश्नाः]

शब्दरूपाणि, धातुरूपाणि, सन्धिः, समासः - अव्ययीभावः, तत्पुरुषः, द्वन्द्वः/द्विगुः, कर्मधारयः / नञ्, बहुव्रीहिः, कारकम् - कर्तृ, कर्म, करणम्, सम्प्रदानम्, अपादानम्, अधिकरणम्, उपपदविभक्तयः, कृदन्ताः - णिजन्ताः, सन्नन्ताः, तद्धिताः - अपत्यर्थकाः, मतुप्/वतुप्, स्त्रीप्रत्ययाः - टाप्, डीप्, डीष्, वाच्यम् - कर्तृवाच्यम्, कर्मवाच्यम्, भाववाच्यम्, वर्तनीगता अशुद्धिः ।

भागः 2 - संस्कृतसाहित्यम् (Sanskrit Literature) [25 बहुविकल्पीयाः प्रश्नाः]

वैदिकवाङ्मयम्, ब्राह्मणानि, आरण्यकानि, उपनिषदः, वेदान्तः, दर्शनानि, पुराणानि, रामायणम्, महाभारतम्, महाकाव्यानि, कविः, नाटकम्, गद्यम्, पद्यम्, चम्पू, आधुनिकरचनाः रचनाकाराश्च।

भागः 3 - शिक्षणाभिरुचिः (Teaching Aptitude) [25 बहुविकल्पीयाः प्रश्नाः]

शिक्षा, उद्देश्यम्, शिक्षकगुणाः, शिक्षणसिद्धान्ताः, अनुशासनम्, शिक्षणाभिवृत्तिः, कक्षाप्रबन्धनम्, शिक्षकभूमिका, शिक्षणोद्देश्यानि, प्राचीनशिक्षा, शिक्षामनोविज्ञानम्, शिक्षेतिहासः, शिक्षादर्शनम्, शिक्षासमाजशास्त्रम्, समावेशितशिक्षा, राष्ट्रियशिक्षानीतयः (1968, 1986, 2020)।

18. प्रवेश परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों के उदाहरण

SECTION - 1 संस्कृतभाषादक्षता

1. 'विद्यावान्' अस्मिन् पदे अयं प्रत्ययः अस्ति -

- | | |
|----------|-----------------|
| 1. वतुप् | 3. झतुप् |
| 3. मतुप् | 4. वति |
| | उत्तरम् - वतुप् |

2. 'द्वित्राः' अत्र समासः अस्ति -

- | | |
|---------------|----------------------|
| 1. बहुव्रीहिः | 3. तत्पुरुषः |
| 3. द्विगुः | 4. द्वन्द्वः |
| | उत्तरम् - बहुव्रीहिः |

SECTION - 2 संस्कृतसाहित्यम्

3. अनुबन्धचतुष्टये नान्तर्भवति -

- | | |
|--------------|--------------------|
| 1. विषयः | 3. अधिकारी |
| 3. प्रयोजनम् | 4. उपदेष्टा |
| | उत्तरम् - उपदेष्टा |

4. 'माता भूमिः पुत्रोऽहं पृथिव्याः' सूक्तिरियं कस्मिन् वेदे उपलभ्यते?

- | | |
|------------|---------------------|
| 1. ऋग्वेदे | 3. यजुर्वेदे |
| 3. सामवेदे | 4. अथर्ववेदे |
| | उत्तरम् - अथर्ववेदे |

SECTION - 3 - शिक्षणाभिरुचिः

5. राष्ट्रियशिक्षानीतिः 2020 प्रकाशिता -

- | | |
|---------------|-------------------|
| 1. 30 मार्च् | 2. 29 जुलै |
| 3. 30 अप्रेल् | 4. 20 जून् |
| | उत्तरम् - 29 जुलै |

6. शिक्षणं कदा पूर्णं भवति ?

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. यदा पाठः समाप्यते । | 3. यदा कालांशः समाप्यते । |
| 3. यदा छात्रस्य अधिगमः भवति । | 4. यदा शिक्षकः शिक्षणसमाप्तिं घोषयति । |
| | उत्तरम् - यदा छात्रस्य अधिगमः भवति । |

उपर्युक्त मार्गदर्शिका में सभी प्रकार से परिवर्तन एवं संशोधन केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के अधीन है।